संख्या- 19/2021/871/12-3-2021-100(37)/2017

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 28 जुलाई, 2021**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./116/लेखा-4/21-22, दिनांक 08.07.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 में प्रस्तावित धनराशि रू0 1145.30 लाख (केन्द्रांश रू0 687.18 लाख एवं राज्यांश रू0 458.12 लाख) के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन की –ष्टि से सम्प्रति केन्द्रांश की धनराशि रू0 687.18 लाख (**रू0 छः करोड़ सत्तासी लाख अट्ठारह हजार**) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की पूंजीगत योजनाए के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		लेखाश्ीार्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	Conversion of horticulture experiment and training centre, Saharanpur into Center of excellence in fruit and vegetable	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।	10-05-2018 16.06.2020	1105.73	**अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूॅजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूॅजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के+रा.)** 24 वृहद् निर्माण कार्य	**87.18**
2	Strengthening of Government Horticulture nurseries and farms		16.06.2020	5042.24	**अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूॅजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूॅजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के+रा.)** 24 वृहद् निर्माण कार्य	600.00
				6147.97	**कुल योग-**	**687.18**

(रू0 छः करोड़ सत्तासी लाख अट्ठारह हजार)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भारत सरकार द्वारा पुनवर्ैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 15.4.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनवर्ैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हेंÈ परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप आर0के0वी0वाई0-रफ्तार हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में आँकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उत्तरदायित्व रहेगा। वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूÆत अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहÈ देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सम्भावित व्यय की फेÇजग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेÇजग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कियें जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयेाग योजना की मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी.-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के संगत प्राविधान के अनुसार आहरित कर प्रश्नगत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत उपर्युक्त उल्लिखित तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी- 1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी- 1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1- 196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-6/2020 /बी-1-218/दस- 2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020, शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/10-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 19/2021/871/12-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- निदेशक/प्रबंध निदेशक, समस्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
15- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है